

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक—पि०व० / बजट—३०—०२ / २०१५(खण्ड—II)—

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक—

विषय:—वित्तीय वर्ष २०२५—२६ में विभागान्तर्गत संचालित नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +२ उच्च विद्यालय, अथमलगोला, पटना के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रु० २,४४,९७७/- (रु० दो लाख चौवालीस हजार नौ सौ सतहत्तर) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०२५—२६ में विभागान्तर्गत संचालित नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +२ उच्च विद्यालय, अथमलगोला, पटना के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रु० २,४४,९७७/- (रु० दो लाख चौवालीस हजार नौ सौ सतहत्तर) मात्र आवंटित की जाती है।

२—कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष २०२५—२६ रखापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या ११ मुख्य शीर्ष २२२५—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष ०३— पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष २७७—शिक्षा, उप शीर्ष ००१०—पिछड़ी जातियों के लिए १२ (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष १३.०४ विद्युत प्रभार इकाई, विप्रक कोड संख्या—११-२२२५-०३-२७७-००१० के अंतर्गत विकलनीय होगा।

३—इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

४—आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक २५६१ दिनांक १७.०४.९८ तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। निकासी की गई राशि का व्यय विभागीय पत्रांक—२९२, दिनांक—११.०२.२०२१ तथा विभाग द्वारा निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +२ उच्च विद्यालय के संचालनार्थ मार्गदर्शिका में निहित निदेश/प्रावधान का अनुपालन करते हुए करेंगे। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

५—प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

६—प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

७—सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—पि०व० / बजट—३०—०२ / २०१५(खण्ड—II)— ६३

पटना, दिनांक—१४/०४/२०२१


प्रतिलिपि—(१) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(२) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(३) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(४) जिला पदाधिकारी, पटना / उप विकास आयुक्त, पटना / प्रमंडलीय उप निदेशक, पटना, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/आवासीय विद्यालय, अथमलगोला, पटना के प्रधानाध्यापक/विभागीय बजट शाखा को (CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(५) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।